



कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, जहानाबाद

S.P. आवास रोड कनौदी, जिला-जहानाबाद

दूरभाष सं० - 06114-222003 ईमेल - bepcjehanabad@gmail.com



पत्रांक 502 तदनांक 21/3/18

प्रेषक:

दुर्गा यादव,  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
जहानाबाद।

सेवा में

प्रधानाध्यापक,  
शांति कुन्ज पब्लिक स्कूल, जहानाबाद  
आवटित की गयी निबंधन संख्या- JEH/RTE/2018/16

विषय : निजी विद्यालयों को औपबधिक निबंधन संख्या उपलब्ध करने के संबंध में।  
महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय शांति कुन्ज पब्लिक स्कूल, जहानाबाद कक्षा I से VIII तक संचालन हेतु तीन वर्षों 27.08.2017 से 26.08.2020 तक की अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।  
प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका 3 उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कॅंपिटेसन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-
  - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।



REDMI NOTE 8 PRO

AI QUAD CAMERA

4/21/18

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत जैसे शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे राज्य में अधिनियम लागू होने की तिथि से 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में सलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेंगे।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का वितरण निम्नवत् है :-

- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल - 6000 वर्गफीट
- कुल निर्मित क्षेत्र,
- खेल के मैदान का क्षेत्र - 2000 वर्गफीट
- वर्गकक्षों की कुल संख्या- 25
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष, ही
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, ही
- पेयजल की सुविधा, ही
- बाधारहित पहुँच, ही
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय ही

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।

16- आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **JEH/RTE/2018/16** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं में से यदि कोई भी सूचना गलत अथवा भ्रामक पाई जाती है तो सीमित द्वारा आवंटित औपबंधिक निबंधन संख्या रद्द कर दी जाएगी एवं विभाग कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

*Updation*  
21/03/18

विश्वासभाजन  
21/03/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
जहानाबाद।